दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 13-09-2025

फैसला • सीजे व दो जजों की बेंच ने निर्णय के लिए मामला डिवीजन बेंच में भेजा, कहा- हर मामले का फैसला उसकी परिस्थितियों व तथ्यों के आधार पर होगा

नौकरी से बाहर कर्मी बहाल हों या मुआवजा मिले? फुल बेंच बोला- तय फॉर्मूला नहीं हो सकता

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

वर्ष 2015 में कर्मचारियों की बर्खास्तगी के मामले में हाई कोर्ट में याचिकाओं पर दो अलग- अलग फैसले आए थे। इसके बाद मामला फुल बेंच में भेजा गया था। फुल बेंच ने इसे टिप्पणी के साथ निर्णय के लिए संबंधित डिवीजन बेंच को वापस भेजा है। दरअसल, हालांकि तत्कालीन चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था। सिंगल बेंच के फैसले को पलटते हुए आदेश दिया गया था कि 240 दिन की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। दो बेंच के अलग- अलग फैसले होने पर मामला फुल बेंच को भेजा गया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने फैसले में कहा है कि इसका कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता नौकरी से निकाले गए कर्मचारी बहाल हों या सिर्फ मुआवजा दिया जाए। हर मामले का फैसला उसकी परिस्थितियों और तथ्यों के आधार पर होगा। फुल बेंच ने मामले को निर्णय के लिए रोस्टर के अनुसार डिवीजन बेंच में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने वर्ष 2015 में ने दस वर्ष या उससे अधिक सेवा देने वालों की बहाली का आदेश दिया था, जबकि कम सेवा अवधि वालों को केवल मुआवजा देने की बात कही थी। इसके खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की गई। तर्क दिया गया कि छंटनी यदि वैधानिक प्रक्रिया के उल्लंघन में हुई है, तो सभी प्रभावित कर्मचारियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। इस मामले में दिए गए फैसले में डिवीजन बेंच ने माना था कि छंटनी धारा 25एफ के तहत अवैध है, तो बहाली के आदेश में कोई भेद नहीं किया जा सकता। साथ ही कहा था कि सेवा वर्षों के आधार पर मुआवजे की श्रेणियां तय करना न्यायोचित हो सकता है, लेकिन बहाली जैसे संवेदनशील मामले में समानता का सिद्धांत सर्वोपरि रहेगा। बाद में कुछ अन्य समान मामलों में इसी तरह विवाद की स्थित बनी और डिवीजन बेंच ने वर्ष 2016 में मामले को फुल बेंच को रेफर कर दिया था। फुल बेंच ने 1 अगस्त को मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

क्या है मामला

मूल याचिकाकर्ता को 1 मार्च 1985 को श्रमिक के पद पर नियुक्ति मिली। वह 1 अगस्त 1994 तक कार्यरत रहा। अचानक मौखिक आदेश से सेवा समाप्त कर दी गई। ऐसा ही तुलाराम, बड़कू, धनीराम, खेलाफ, भरत, रामनारायण, हरिशंकर, दुकालू, श्यामू और कुशुराम समेत कई श्रमिकों के साथ भी हुआ। सभी ने 1995 में रायपुर के लेबर कोर्ट में मामला पेश किया, जिसे खारिज कर दिया गया। लेकिन वर्ष 2017 में औद्योगिक न्यायालय ने बहाली का आदेश दिया। इसके बाद सभी को दोबारा नौकरी मिली। सेवा पुस्तिकाएं भी बन गईं। इसी बीच, 2008 में राज्य सरकार ने परिपत्र जारी कर 1988 से 1997 तक कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को नियमितीकरण का पात्र माना। पर अपील लंबित रहने से अपीलकर्ताओं को लाभ नहीं मिला। 12 अगस्त 2014 को सिंगल बेंच ने सरकार के पक्ष में फैसला देकर बहाली रद्द कर दी और केवल एक लाख रुपए मुआवजे का आदेश दिया। इस पर फैसला होना है।

डिवीजन बेंच ने पांच सवाल तय किए

1. क्या हाईकोर्ट श्रम न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है?
2. क्या छंटनी अवैध होने पर कर्मचारी को बहाली मिलनी चाहिए या मुआवजा दिया जा सकता है?
3. किन परिस्थितियों में बहाली और किन परिस्थितियों में मुआवजा दिया जाए?
4. पिछला वेतन देने के मानदंड क्या होंगे?
5. देरी से अपील करने का प्रभाव क्या होगा?

बेंच ने इन सवालों पर किया विचार: दो अलग-अलग सिंगल बेंच के फैसलों में मतभेद की स्थिति सामने आने के बाद तत्कालीन सीजे की डिवीजन बेंच ने संवैधानिक पक्ष पर फैसले के लिए मामले को फुल बेंच को रेफर किया था।